न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 31/2019

उनवान

(1) हकरिया पिता कचरा, जाति कुम्हार, निवासी नाहली, तहसील अरथूना, जिला बाँसवाड़ा।
(2) जीवा पिता कचरा, जाति कुम्हार, निवासी नाहली, तहसील अरथूना जिला बाँसवाड़ा।
(3) श्रीमती कचरी बेवा कचरा, जाति कुम्हार, निवासी नाहली, तहसील अरथूना जिला बाँसवाड़ा।

—: प्रार्थीगण

बनाम

(1) नानुलाल पिता खेमराज, जाति भील, निवासी भतार, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।
(2) कन्हैयालाल पिता खेमराज, जाति भील, आयु वयस्क, निवासी भतार, तहसील अरथूना जिला बाँसवाड़ा।
(3) शम्भुलाल पिता खेमराज, जाति भील, आयु वयस्क, निवासी भतार, तहसील अरथूना जिला बाँसवाड़ा।
(4) श्रीमती सोमी पत्नी खेमराज, जाति भील, आयु वयस्क, निवासी भतार, तहसील अरथूना जिला बाँसवाड़ा।
(5) श्री चन्द्रवीर पिता गौतम, जाति भील, आयु नाबालिग की वलिया माता श्रीमती गीता पत्नी स्व. गौतमलाल, निवासी भतार, तहसील अरथूना जिला बाँसवाड़ा।
(6) श्रीमती गीता पत्नी स्व. गौतमलाल, जाति भील, आयु वयस्क, निवासी भतार, तहसील अरथूना जिला बाँसवाड़ा।
(7) शंकरलाल पिता नाथु, जाति भील, आयु वयस्क, निवासी भतार, तहसील अरथूना जिला बाँसवाड़ा।
(8) बापुलाल पिता हिरजी, जाति भील, आयु वयस्क, निवासी भतार, तहसील अरथूना जिला बाँसवाड़ा।
(9) भीखा पिता कचरा, जाति कुम्हार, आयु वयस्क, निवासी नाहली, तहसील अरथूना जिला बाँसवाड़ा।
(10) तहसीलदार, तहसील अरथूना जिला बाँसवाड़ा।

—: अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान टेनेन्सी एक्ट</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांकः05/01/2021

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रर्थीगण वं अप्रार्थी सं. 9 के संयुक्तखाते व कब्जे की कृषि भूमि जिसका खाता सं. नई 212 पुरानी 212 के सर्वे नं. 1625 रकबा 0.05 व सर्वे नं. 1626 रकबा 0.06, गांव नाहली, पटवार हल्का नाहली, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जौलाना, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा के संवत 2069—2072 तक खाते में दर्ज रेकॉर्ड है। जिस पर प्रार्थीगण संयुक्तरुप से काबिज होकर शांतिपूर्वक काश्त करते आ रहे है प्रार्थीगण व अ[illegible] उक्त खाते व कब्जे की कृषि भूमि गांव नाहली में मुख्य सडक के पास स्थित है ए[illegible] मेन [illegible] सर्वे नं. 1179 में स्थित है एवं इससे लगा हुआ अप्रार्थीगण का सर्वे नं. 1627 रकबा [illegible] स्थित है एवं इसके बाद प्रर्थीगण के उक्त खाते व कब्जे की भूमि है एवं [illegible] से उक्त मेन रोड से अपने [illegible] खाते की भूमि में आवागमन करते चले आ रहे है ए[illegible]सके अलावा प्रार्थीगण के उक्त [illegible] भूमि में आने—जाने का कोई रास्ता नहीं है। पूर्व में अप्रार्थीगण का उक्त सर्वे नं. की भूमि उनके पूर्वज श्री खेमराज, शंकरलाल व बापुलाल के नाम दर्ज रेकॉर्ड थी, परन्तु खेमराज व शंकरलाल की मृत्यु होने के पंश्चात् उक्त खाते की भूमि विरासत में मिली है एवं अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण को उक्त खाते की भूमि में आने—जाने से रुकावट पैदा कर रहे है और कह रहे है कि, उक्त हमारे खाते

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.03.16 11:47:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

की भूमि में रास्ता दर्ज नहीं है, इसलिये तुम्हे मेन रोड से हमारे खेतों में से होकर तुम्हारे खेतों में कृषि कार्य करने के लिये जाने नहीं देंगे। इस प्रकार अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण को उनके उक्त खाते व कब्जे की कृषि भूमि में राजस्व रेकॉर्ड में रास्ता दर्ज नहीं होने से प्रार्थीगण को अपने खेतों में जाने के लिये रुकावट पैदा कर रहे है और आये दिन झगडा कर रहे है। इस कारण प्रार्थीगण अपने उक्त खाते व कब्जे की कृषि भूमि में खेती करने पर व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि प्रार्थीगण उक्त बताये खेतों में जाने के लिये हल–बैल व ट्रेक्टर, बीज, फसल आवागमन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तथा समय पर कृषि कार्य नहीं कर पा रहे है एवं प्रार्थीगण का अपने उक्त बताये खाते की भूमि में मैन रोड से अपने खेतों में जाने के लिये अप्रार्थीगण के खेतों में होकर जाने का रास्ता है, इसके अलावा मौके पर कोई रास्ता मौजुद नहीं है, इसलिये प्रार्थीगण, आप न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीगण के उक्त सर्वे नं. 1627 रकबा 0.10 हैक्टेयर में से 30 फीट चौडा रास्ता डामर रोड से अप्रार्थीगण के उक्त सर्वे नं. से प्रार्थीगण के खेतों तक जाने के लिये राजस्व रेकॉर्ड में 30 फीट का रास्ता दर्ज किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में पेश है। यह रास्ता उत्तर दिशा में डामर रोड से दक्षिण दिशा तक अप्रार्थीगण के खेत से होकर प्रार्थीगण के खेतों तक स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण के उक्त खाते में आवागमन का रास्ता उक्त बताये रास्ते के अलावा अन्य कोई सुलभ रास्ता मौजुद नहीं है। इस संबंध में प्रार्थीगण ने आप न्यायालय में आवश्यक दस्तावेज पेश किये है, जिसमें नक्शा–ट्रेस से स्पष्ट दिखाता है कि, मेन डामर रोड सर्वे नं. 1179 में स्थित है और इससे लगा हुआ अप्रार्थीगण का सर्वे नं. 1627 है और इसके बाद दक्षिण दिशा में प्रार्थीगण का उक्त बताये खाते के सर्वे नम्बर स्थित है एवं प्रार्थीगण को सर्वे नम्बर 1627 से होकर ही अपने खेतों में जाने का रास्ता है इसके अलावा और कोई रास्ता मौजुद नहीं है। यदि प्रार्थीगण को अपने उक्त बताये खेतों में आवागमन का रास्ता सर्वे नम्बर 1627 में 30 फीट चौडा रास्ता नहीं दिया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्ण क्षति होगी और वह अपनी सम्पत्ति के व खेती करने व उपयोग–उपभोग करने के संवैधानिक अधिकार से वंचित हो जायेंगे। प्रतिवादी सं. 9 श्री भीखा सहखातेदार होने से व वर्तमान में बाहर होने से व इस प्रार्थना पत्र को पेश करने में प्रार्थीगण के साथ नहीं होने के कारण उसे अप्रार्थीगण की श्रेणी में रखा गया है, उसे कोई दादरसी नहीं चाहिये एवं अप्रार्थी सं. 10 तहसीलदार, भूधारक होने से एवं इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे पक्षकार बनाया जाकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर अप्रार्थीगण की ओर से किसी के उपस्थित नही होने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही का आदेश पारित किया जाकर प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार, अरथना से रिपोर्ट प्राप्त की गई।

प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार अरथूना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के आराजी नम्बर 1625 व 1626 और मुख्य सड़क जिसका आराजी नम्बर 1179 है, दोनों के मध्य में आराजी नम्बर 1616 रकबा 0.20 हे0 बिलानाम नाकाबिल काश्त होकर किस्म–आबादी दर्ज रिकार्ड है। आराजी नम्बर 1616 के पश्चिम में आराजी नम्बर 1627 रकबा 0.10 हे0 किस्म–भू गो.2 है जो कि अप्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण द्वारा जिस रास्ते की मांग की जा रही है वह भूमि आराजी नम्बर 1616 में आ रही है व उसकी किस्म–आबादी दर्ज है एंव इसमें निर्माण कार्य किया गया है। प्रार्थीगण का मकान आराजी नम्बर 1626 के दक्षिणी हिस्से में बना हुआ है व उनके [illegible] हुई सी.सी. सड़क पहले से मौजूद है व पूर्व से रास्ता उपलब्ध होना आवश्[illegible]

उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट जाहिर है कि प्रार्थीगण [illegible] के लिए पर्याप्त रास्ता मौके पर उपलब्ध है। अतः प्रार्थना–पत्र [illegible] नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2021 को सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.03.16 11:17:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner